पोत परिवहन मंत्रालय
(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2010

सा.का.नि. 387(ई) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 को एतद्द्वारा अनुमोदित करती है.

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने तिथि से लागू होंगे.

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम 2010

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मुंबई बंदरगाह का न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है, जो है -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -

(1) ये विनियम, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 कहलाए जाएँ.

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों की आवश्यकतानुसार, जिस तिथि को केंद्र सरकार की मंजूरी भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी, उस तिथि से ये विनियम लागू होंगे.

2. प्रयुक्ति

ये विनियम अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) के खण्ड (क) में समाविष्ट पदों सहित, अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मंडल में निर्मित सभी पदों को लागू होंगे.

3. परिभाषाएँ

इन विनियमों में; जब तक कि, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" याने कि, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38).

(ख) "सदृश पद" याने कि ऐसा पद जिसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व का स्तर तथा वेतन वर्ग उस पद से तुलनीय हो, जिस पद के लिए चयन किया जाना है.

(ग) किसी श्रेणी या पद के संबंध में "नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी" का अर्थ है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन) विनियम 1976 के अंतर्गत उस श्रेणी या पद पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी.

(घ) "मंडल" "अध्यक्ष" "उपाध्यक्ष" तथा "विभाग प्रमुख" शब्दों के अर्थ वे ही होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं.

(च) "प्रथम श्रेणी" "द्वितीय श्रेणी""तृतीय श्रेणी" एवं "चतुर्थ श्रेणी" पदों के अर्थ वें ही होंगे, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन) विनियम, 1976 में से विनियम 4 में दिए गए हैं.

(छ) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ है, किसी श्रेणी या पद पर पदोन्नति देने या स्थायी करने के लिए सिफारिश करने हेतु विनियम 26 के अंतर्गत समय-समय पर गठित गई समिति.

(ज) "सीधी भर्ती" का अर्थ है, सेवाएँ चयन समिति द्वारा प्रतियोगी परीक्षा या जाँच और/या साक्षात्कार के आधार पर भर्ती हुआ व्यक्ति.

(झ) "कर्मचारी" का अर्थ है मंडल का कर्मचारी

(ट) "श्रेणी" का अर्थ है, उक्त अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत तैयार तथा मंजूर ‘कर्मचारी सारणी में विनिर्दिष्ट श्रेणियों’ में से कोई भी श्रेणी.

(ठ) "ग्रहणाधिकार" याने कि कर्मचारी जिस पद पर नियमित रुप से नियुक्त किया गया था और जिस पद पर वह परिवीक्षाधीन नही था, ऐसा पद तुरंत या अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों के समापन बाद नियमित रुप से ग्रहण करने का कर्मचारी का अधिकार.

बशर्ते कि, नियमित पद ग्रहण करने का अधिकार इस शर्त के अनुपालन पर होगा कि, अगर किसी श्रेणी में ऐसा अधिकार रखनेवाले व्यक्तियों की संख्या उस श्रेणी में उपलब्ध पदों से अधिक हो, तो उस श्रेणी का कनिष्ठतम व्यक्ति निचली श्रेणी में वापस भेजा जा सकता है.

(ड) "स्थायी कर्मचारी" का अर्थ है, वह कर्मचारी जिसकी किसी स्थायी पद पर वास्तविक रुप से नियुक्ति की गई हो.

(ढ) "सारणी" याने कि, इन विनियमों को जोडी गई सारणी.

(त) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अर्थ वे ही होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा (24) तथा (25) में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं.

(थ) किसी श्रेणी या पद से संबंधित "चयन सूची" का अर्थ है, उस श्रेणी या पद के लिए विनियम 13 के अनुसार बनायी गई चयन सूची.

(द) "चयन पद" का अर्थ है, इन विनियमों में से विनियम 5 के अंतर्गत चयन पद के रुप में घोषित किया गया पद.

(ध) "सेवा चयन समिति" का अर्थ है, सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदोंपर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा और/या साक्षात्कार द्वारा उम्मेदवारों के चयन के लिए विनियम 12 के अंतर्गत गठित समिति.

(न) "अस्थायी कर्मचारी" का अर्थ है वह कर्मचारी, जो अस्थायी पद पर हो, या स्थायी पद पर स्थानापन्न हो या मंडल की सेवा में अपनी नियुक्ति में परिवीक्षा पर हो.

1. (प) किसी भी ग्रेड के संबंध में, "नियमित सेवा" का तात्पर्य, चयन के उपरान्त और उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नियमों के तहत हुई नियुक्ति के बाद, की गई सेवा की अवधि या अवधियाँ और जिसमें कोई भी अवधि या अवधियाँ शामिल है :

(i) विनियमों की अधिसूचना के समय पर, जो पहले से ही सेवा कर रहे हो, के मामलो में, वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा

(ii) जिस अवधि के दौरान, अधिकारी ने उक्त ग्रेड में पद को संभाला हुआ होगा, पर लेकिन छुट्टी पर रह रहे थे या अन्यथा ऐसे पदों को संभालने के लिए उपलब्ध नहीं थे

4. नियुक्ति की पध्दति

जिन पदों को ये विनियम लागू होते हैं, ऐसे पदों की सभी नियुक्तियाँ इन विनियमों की धाराओं के अनुसार की जाएँगी. नियुक्ति, पदोन्नति या विलयन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है. महापत्तन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त संस्थाएँ, सरकारी कंपनियों से, किसी पद के लिए निर्धारित पात्रता के निकषों को पूरा करनेवाले कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्षों की है, जो चार वर्षों तक बढायी जा सकती है. ***2.*** अपवादात्मक परिस्थितियों में, विभाग प्रमुख का पदधारण करने वाले के मामले में केन्द्र सरकार और विभाग प्रमुख के स्तर से नीचे के अन्य पद धारण करने वाले के मामले में अध्यक्ष व्दारा 5 वर्षों तक बढायी जा सकती है.

5. अनुसूचियाँ

श्रेणी - I के पदों के संबंध में, नियुक्ति का प्रकार याने कि, सीधी भर्ती से या विभागीय पदोन्नति या विलयन या प्रतिनियुक्ति से, अर्हता, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव की आवश्यकताएँ, पदों का वर्गीकरण जैसे कि चयन पद हैं या गैरचयन पद तथा विभिन्न पदों पर नियुक्तियों से संबंधित अन्य बातें, इन विनियमों के साथ जोडी गई सारणी में दर्शायी जाएँगी. द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के बारे में नियुक्ति का प्रकार मंडल द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाएगा. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 23 के उपबन्धों के अंतर्गत बनायी गई कर्मचारी-सारणी में दर्शायी विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत स्थायी तथा अस्थायी पदों की संख्या भी यह सारणी दर्शाएगी. महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 27 के उपबन्धों के अन्तर्गत यह संख्या समय-समय पर बदल सकती है. सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता की आवश्यकताएँ, सारणी के स्तंभ 9 में सूचित की गई हदतक पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी और पदोन्नति के लिए अनुभव की आवश्यकता, सारणी के स्तंभ 12 में निर्धारित नुसार होगी.

---

1. TR No. 44 of 16.6.2017 and G.S.R.351 dated 9.4.2018 के अनुसार जोडा गया.

2. TR No.239 of 27.3.2015 and G.S.R. 648(E) dated 1.7.2016 के अनुसार प्रतिस्थापित किया.

बशर्ते कि, सीधी भर्ती/विलयन/प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु की निर्धारित मर्यादा विभाग प्रमुखों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार शिथिल की जा सकती है, इसके कारण लिखित रुप में अभिलेखित करने होंगे :

(i) जहाँ निर्धारित न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष या अधिक है वहाँ 5 वर्षों तक और जहाँ निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 से 9 वर्ष है वहाँ 3 वर्षों तक

(ii) अगर कोई उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक याने कि, भारत के रक्षा बल का भूतपूर्व कर्मचारी हो और उसने रक्षा बल में कम से कम छः महीनों की लगातार सेवा की हो और, अगर भरी जानेवाली रिक्ति ऐसे भूतपूर्व सैनिकों तथा युध्द में मारे गए सैनिकों के अवलम्बितों के लिए आरक्षित हो तो, उसके मामले में उसकी रक्षा बल की सेवा अवधि में तीन वर्ष जोडे जाएगें और निर्धारित आयु मर्यादा उतनी हदतक शिथिल की जाएगी. अगर भरी जानेवाली रिक्ति अनारक्षित हो, तो उस भूतपूर्व सैनिक द्वारा रक्षा बल में की गई सेवा की अवधि के बराबर की शिथिलता दी जाएगी.

(iii) अगर उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों से हो, तो ऐसे मामले में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

आगे बशर्ते कि अगर चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार की राय हो जाए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भरने हेतु आवश्यक अनुभव होनेवाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सकते तो ऐसे उम्मीदवारों के मामले में केंद्र सरकार के स्वनिर्णय से अनुभव की आवश्यकता शिथिल की जा सकती है.

6. रिक्तियों का रोस्टर

कोई विशिष्ट रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जाए या पदोन्नति द्वारा यह जानने के लिए हर एक श्रेणी का एक रोस्टर बनाया जाए.

फिर भी अगर सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रिक्ति, सीधी भर्ती द्वारा न भरी जा सकें, तो वह पदोन्नति द्वारा भरी जाए और अगली रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जाए. इसी प्रकार पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्ति अगर पदोन्नति द्वारा न भरी जा सके तो इसी कार्य पध्दति का अनुपालन करें.

7. आरक्षण

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हो या पदोन्नति द्वारा पदों के आरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित इन विनियमों के अंतर्गत आनेवाली सभी नियुक्तियों को लागू होंगे.

(2) अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा युध्द में मारे गए सैनिकों के अवलम्बितों, खिलाडियों और शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के आरक्षण के बारे में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित, इन विनियमों के अंतर्गत आनेवाली नियुक्तियों और सीधी भर्ती से की जानेवाली नियुक्तियों को भी लागू होंगे.

8. सीधी भर्ती के लिए नागरिकता, चरित्र, शारीरिक स्वास्थता आदि

(1) किसी श्रेणी या पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र होने के लिए उम्मीदवार निम्नानुसार होना आवश्यक है -

(क) भारत का नागरीक हो, या

(ख) नेपाल का नागरीक हो, या

(ग) भूतान का नागरीक हो, या

(घ) तिबेट से आया शरणार्थी, जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रुप से बस जाने के लिए आया हो.

(च) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रुप से बस जाने के लिए, पाकिस्तान, ब्रम्हदेश, श्रीलंका या पूर्व आफ्रिका के देश जैसे केनिया, युगांडा, झांबिया, मालवी, झैरे, इथोपिया तथा टांझानिया संयुक्त गणराज्य और व्हिएतनाम से स्थानांतरित हुआ हो.

बशर्ते कि, उक्त (क) का उम्मीदवार अपनी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करें, जो समय-समय पर अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा.

आगे बशर्ते कि, (ख) (ग), (घ), तथा (च) इन वर्गों का उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र दिया गया हो.

बशर्ते यह भी कि , जिस उम्मीदवार के मामले में नागरिकता का प्रमाण या पात्रता का प्रमाणपत्र जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो, उसको, केंद्र सरकार का आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तक अस्थायी रुप से नियुक्त किया जाए. ऐसे मामलों में अस्थायी नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(2) अगर किसी विशिष्ट स्वरुप के काम के लिए कोई नियुक्ति करनी हो और अगर इन विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाला उचित उम्मीदवार पाना व्यवहार्य न हो, तो केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर अध्यक्ष, उपविनियम (1) में दी गई कुछ आवश्यकताएँ परिवर्तित कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं.

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने पति/पत्नी जीवित है ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, या

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है फिरभी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का करार किया हो,

ऐसा व्यक्ति, ये विनियम लागू होनेवाली श्रेणी में या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

बशर्ते कि, विभाग प्रमुखों के मामले में केंद्र सरकार और अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष को यह समाधान हो कि, ऐसा विवाह, विवाह करनेवाले ऐसे व्यक्ति तथा विवाह करनेवाली दूसरी व्यक्ति को लागू होनेवाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कोई कारण है, तो वे ऐसे व्यक्ति को इस उप-विनियम के प्रचालन से छूट दे सकते हैं.

(4) उम्मीदवार द्वारा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि, उसका चरित्र तथा पूर्ववृत्त उसे किसी श्रेणी में या पद पर नियुक्ति की दृष्टि से उचित है. अगर किसी उम्मीदवार को नैतिक चरित्र हीनता दर्शानेवाले अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या दिवालिया होने के लिए दण्डित किया गया हो, तो उम्मीदवार किसी श्रेणी में या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(5) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष न हो, जो मंडल के कर्मचारी के रुप में काम करते हुए बाधा बने. विभाग प्रमुखुं के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा के बाद अगर मालूम हो कि उम्मीदवार का स्वास्थ्य निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(6) अगर यह सवाल उठे कि, क्या कोई उम्मीदवार इस विनियम की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है या किसी आवश्यकता को पूरा नहीं करता, तो, विभाग प्रमुखों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा और अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा उसपर निर्णय लिया जाएगा.

9. <u>सीधी भर्ती के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता</u>

***1.** मौजूदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती की पात्रता - जब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के ले लिए अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाता है तो किसी महापत्तन न्यास बोर्ड के निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते की ऐसे मामलों में उपरी आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक न हो.

10. <u>रिक्तियों का विज्ञापन</u>

(1) सीधी भर्ती से भरे जानेवाले तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पदों की रिक्तियाँ, स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाएँ. इसके अलावा भर्ती सूचना रोजगार समाचार में प्रकाशित की जायेगी तथा प्रसिध्दि के लिये कार्यालय के सूचनापट्टपर प्रदर्शित की जायेगी. आवेदन करनेवाले सभी उम्मीदवारों के आवेदनोंपर विचार किया जाना चाहिये. यदि पात्र एवं योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हों, तो वे रिक्तियाँ राज्य में प्रकाशित हो रहें समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी.

प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के जो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हों, वे राष्ट्रीय तथा स्थानीय दैनिकों और/या रोजगार समाचारों में विज्ञापित किए जाएँगे.

(2) अर्हता, अनुभव तथा आयु तय करने की निर्णायक तिथि अगर विशिष्ट रुप से न दी गई हो, तो जिस महीने में वह पद अधिसूचित/विज्ञापित होता है उस महीने का पहला दिन ही निर्णायक तिथि होगी.

11. <u>विशिष्ट मामलों में लिखित या कुशलता परीक्षाओं का आयोजन</u>

लिखित या कुशलता परीक्षा या दोनों परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ या नहीं, उक्त परीक्षा आयोजित करनेवाले अधिकारी को नामित करना, उक्त परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाए तथा अन्य सभी बातें नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा तय की जाएँगी. लिखित या कुशलता परीक्षा आयोजित करने हेतु किसी परामर्शदाता या परामर्शदाताओं की फर्म को नियुक्त करना है या नहीं यह निर्णय नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी लेगा.

***1.** TR No. 157 dated 27.11.2017 and G.S.R. 776(E) dated 14.8.2018 के अनुसार प्रतिस्थापित किया.

12. सेवा चयन समिति

(1) विभिन्न पदोंपर सीधी भर्ती से नियुक्ति करने हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए उपविनियम
(2) में उल्लेखितानुसार पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करने के लिए हर एक श्रेणी या पद की एक सेवाएँ चयन समिति होगी.

(2) उप-विनियम (1) में उल्लेखितानुसार पदों का संवर्ग और सेवाएँ चयन समितियों का गठन निम्नानुसार होगा :

(क) विभागप्रमुखों के लिए :

1.(i)	पी एच आर डी का कार्य भार संभालने वाले पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव	-	अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	-	सदस्य
(iii)	किसी अन्य पत्तन के अध्यक्ष या पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित जिन्हें संबंधित क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो.	-	सदस्य
(iv)	पोत परिहवन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि. वर्गों का प्रतिनिधि.	-	सदस्य

2.**(ख) उन प्रथम श्रेणी के पदों के लिए जिनका अधिकतम वेतनमान 46500/- रु.पये से ऊपर है (दिनांक 01.01.2007 की वेतन संरचना में):**

(i)	उपाध्यक्ष	-	अध्यक्ष
3. (ii)	सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभारी विभाग प्रमुख	-	सदस्य
(iii)	जिस विभाग में रिक्ति है, उस विभाग के प्रभारी विभाग प्रमुख	-	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अ.जा./ अ.ज.जा. और अ.पि. वर्गों का प्रतिनिधि.	-	सदस्य

1. TR No. 259 dated 27.3.2015 and G.S.R. 603(E) dated 31.7.2015 के अनुसार प्रतिस्थापित किया.
2,3. TR No. 39 dated 13.8.2015and G.S.R.(E)1434 dated 20.11.2017 के अनुसार प्रतिस्थापित किया.

(ग) उपरोक्त को छोडकर प्रथम श्रेणी के अन्य पदों तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए:

1.(i)	सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभारी विभाग प्रमुख	-	अध्यक्ष
2.(ii)	अध्यक्ष द्वारा नामित वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा उप संरक्षक	-	सदस्य
(iii)	जिस विभाग में रिक्ति है, उस विभाग के प्रभारी विभाग प्रमुख	-	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अ.जा./ अ.ज.जा. और अ.पि. वर्गों का प्रतिनिधि.	-	सदस्य

(घ) तृतीय श्रेणी के पदों के लिए

3.(i)	सामान्य प्रशासन विभाग से उप विभाग प्रमुख के स्तर तक का अधिकारी	-	अध्यक्ष
(ii)	जिस विभाग में रिक्ति है उस विभाग से उप विभागप्रमुख के स्तर तक का अधिकारी	-	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष द्वारा नामित, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अन्य किसी विभाग से उपविभाग प्रमुख के स्तर का अधिकारी	-	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अ.जा./ अ.ज.जा. और अ.पि. वर्गों का प्रतिनिधि.	-	सदस्य

(च) चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए

4.(i)	सामान्य प्रशासन विभाग से उप विभाग प्रमुख के स्तर से निचले स्तर का प्रथम श्रेणी अधिकारी	-	अध्यक्ष
(ii)	जिस विभाग में रिक्ति है उस विभाग से उप विभागप्रमुख से निचले स्तर का प्रथम श्रेणी अधिकारी	-	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष द्वारा नामित, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अन्य किसी विभाग से उपविभाग प्रमुख से निचले स्तर का प्रथम श्रेणी अधिकारी	-	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अ.जा./ अ.ज.जा. और अ.पि. वर्गों का प्रतिनिधि.	-	सदस्य

1,2,3,4. TR No. 39 dated 13.8.2015and G.S.R.(E)1434 dated 20.11.2017 के अनुसार प्रतिस्थापित किया.

नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी मंडल की सेवा में न होनेवाले किसी व्यक्ति को भी सेवा चयन समिति का सदस्य नामित कर सकता है. - यदि वह व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हो. जहाँ सेवा चयन समिति का कोई सदस्य उपलब्ध ना हो; नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उसके स्थान पर बैठक में उपस्थित रहने के लिए उचित स्तर के किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकता है.

(3) जहाँ एक से अधिक विभागों में समान श्रेणी की रिक्तियों पर भर्ती संयुक्त चयन द्वारा की जाती है; वहाँ प्रत्येक मामलें में समिति का गठन अध्यक्ष तय करेगे.

13. चयन सूची -

सीधी भर्ती के लिए रखे गये पदों पर नियुक्ति की दृष्टि से विचार करने के लिए बननेवाली चयन सूची पर चुने गये उम्मीदवारों के नामों की शिफारीश सेवा चयन समिति उनकी राय में उचित गुणवत्ता क्रमानुसार करेगी. यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसी को अनुमोदन मिलने की तिथि से 12 महिनों की अवधि तक वैद्य मानी जायेगी. नियुक्ति प्राधिकारी, इस सूची की वैधता अधिक से अधिक छः महिने तक; अथवा नयी चयन सूची अनुमोदित होने तक इनमें से जो भी पहले हो तबतक बढा सकता है.

14. सेवा चयन समिति की शिफारिशों पर विचार और तदर्थ नियुक्तियॉ.

नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा की जानेवाली सभी नियुक्तियाँ संबंधित सेवा-चयन समिति की शिफारिशों पर करेगा.

बशर्ते कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को सेवा चयन समिति की शिफारिशें स्वीकार न करने का विकल्प रहेगा. तथापि इसके कारण लिखित रुप से अभिलेखित किये जायेंगे.

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहाँ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अध्यक्षजी से निचला प्राधिकारी है और यदि किसी मामले में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ऐसी सिफारिशों से असहमत हो तो वह ऐटसी असहमति के कारण लिखित रुप से देते हुए मामला अध्यक्षजी को प्रस्तुत करेगा और अध्यक्षजी उसपर निर्णय लेंगे.

यह भी प्रावधान किया जाता है कि पूर्णतः अस्थायी पद, अवकाश रिक्ति अथवा तत्काल भरना आवश्यक है ऐसी सीधी भर्ती के लिए तय की गयी रिक्ति - इनके मामले में अध्यक्ष उचित अर्हता रखनेवाले व्यक्ति को उस रिक्त पद पर एक समय पर छः महिनों के लिये और अधिकतम एक वर्ष तक तदर्थ आधार पर नियुक्त कर सकते हैं. इसके लिए निम्न शर्तें हैं -

(1) जहाँ अनिवार्य हो; तदर्थ नियुक्ति केवल भर्ती नियमों में उल्लिखित अर्हता एवं अनुभव की शर्तों का कडाई से पालन करके ही की जाय.

(2) अस्थायी पद पर नियुक्ति की कुल अवधि पद के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी.

(3) अन्य मामलों में अस्थायी नियुक्ति के स्थान पर चयन सूची से नियमित नियुक्ति जल्द से जल्द की जाय.

15. किसी प्रकार का प्रचार/समर्थन अभ्यार्थि को अपात्र ठहरायेगा.

किसी पद पर नियुक्ति अथवा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पध्दति से प्रचार/समर्थन/दबाव का प्रयास संबंधित व्यक्ति को नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए अपात्र ठहरा सकता है.

16. तथ्य को छुपाना भी अपात्रता साबित हो सकता है.

यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थि ने जान बूझकर कुछ गलत विवरण प्रस्तुत किया है अथवा किसी ऐसे स्वरुप की जानकारी छुपाई है जो यदि ज्ञात होती है, तो साधारणतया उसे किसी श्रेणी या पद पर नियुक्ति से वंचित कर देती है तो ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के लिए अपात्र होगा और यदि पहले नियुक्त किया गया है तो उसे सेवा से बरखास्त किया जा सकेगा.

17. नियुक्ति आदेश रद्द करना

यदि सीधी भर्ती के पद के लिए चुना गया अभ्यार्थि नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लेखित तिथि तक अथवा यदि ऐसी किसी तिथि का उल्लेख ना हो; तो नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर, अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की सहमति से बढायी गयी अवधि के भीतर सेवा में शामिल नहीं होता; तो नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द माना जायेगा.

18. साक्षात्कार में उपस्थित रहने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान

सीधी भर्ती द्वारा भरे जानेवाले पदों के मामलों में लिखित अथवा प्रात्यक्षिक परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित रहने के लिए अभ्यर्थियो को (जो पहले ही मंडल की सेवा में है उन व्यक्तियों सहित) जो भी यात्रा करनी पडती है वे उन्हें अपने खर्च से करनी होगी. तथापि लिखित या व्यवसायिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को उन्होंने वाकई यह यात्रा की है इसका सबूत प्रस्तुत करने पर लघुतम व्यवहार्य मार्ग से आने-जाने का प्रथम श्रेणी का रेल किराया यात्रा भत्ते के रुप में प्रदान किया जायेगा.

19. परिवीक्षा अवधि

(1) सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा/विलयन द्वारा किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति,. उपविनियम (2) और (3) के प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा तथापि यह उन व्यक्तियों के मामलों में लागू नहीं होगा; जो 16000-400-20800 रु. या उसके ऊपर की वेतन श्रेणी वाले विभाग प्रमुख या उप विभाग प्रमुख के पदों पर संयुक्त भर्ती पध्दति द्वारा विलयन के आधार पर नियुक्त हुए हो.

यह प्रावधान है कि जहाँ नियुक्ति केवल नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ही है; और अगर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा वह अवधि बढायी नहीं जाती तो आदेश में उल्लेखित ऐसी अवधि की समाप्ति पर संबंधित नियुक्ति समाप्त होगी.

प्रावधान है कि जब नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है और उस पद के वेतनमान में अधिकतम वेतन 11975/- रुपये से अधिक ना हो तब परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी.

यह भी प्रावधान है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणियों में से ही पदोन्नति द्वारा नियुक्ति होती है, तो उस मामले में किसी प्रकार की कोई परिवीक्षा नहीं होगी.

आगे यह भी व्यवस्था है कि किसी श्रेणी या पद पर परिवीक्षा पर होनेवाला कर्मचारी अगर उच्च श्रेणी या पद पर स्थानापन्न (officiating) नियुक्त किया जाता है तो उसकी इस नियुक्ति की अवधि उसके निचले वाले श्रेणी या पद की परिवीक्षा पूरी करने के लिए गिनी जायेगी. इसी प्रकार कर्मचारी को पहले किसी श्रेणी या पद पर स्थानापन्न नियुक्त किया गया हो और बाद में उसे उसी प्रकार के किसी पद पर या श्रेणी में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है; तो उस श्रेणी या पद में परिवीक्षा पूरी करने के लिए उसकी स्थानापन्नता की अवधि (तदर्थ सेवा छोडकर) गिनती में ली जायेगी.

(2) यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उचित समझे तो परिवीक्षा अवधि किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढा सकता है, लेकिन इस प्रकार की कुल विस्तारित अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी. यह विस्तारित अवधि एक वर्ष से अधिक तब ही हो सकती है, अगर कर्मचारी के विरुध्द कोई विभागीय या कानूनी कार्रवाई लंबित हो.

(3) अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारी को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विभागीय प्रशिक्षण लेना और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना पड सकता है.

20. <u>परिवीक्षाधीन कर्मचारी को सेवा में कायम करना</u>

(1) <u>सामान्य</u>

(i) किसी कर्मचारी का सेवाकाल में केवल एकबार स्थायीकरण किया जायेगा जो प्रविष्ट श्रेणी में होगा.

(ii) सेवा में स्थायी किये जाने का उस श्रेणी में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है. दूसरे शब्दों में; जिस अधिकारी ने परिवीक्षा सफलता से पूरी की है उसका स्थायीकरण के लिए विचार किया जा सकता है.

(2) <u>जिस श्रेणी में प्रथमतः भर्ती की गई हो उसमें स्थायीकरण</u>

(i) नियुक्त कर्मचारी को परिवीक्षा सफलता से पूरी करनी चाहिए

(ii) स्थायीकरण के लिए मामला विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जायेगा

(iii) मामला हर पहलू से योग्य पाया जायेगा तब स्थायीकरण का निश्चित आदेश जारी किया जाएगा.

(3) <u>पदोन्नति पर</u>

(i) यदि भर्ती नियमों में कोई परिवीक्षा अवधि निर्दिष्ट न की हो तो नियमित आधार पर पदोन्नत हुआ अधिकारी (निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति आदि प्रक्रिया पूरी करने पर) उन सभी लाभों के लिए हकदार होगा जो उस श्रेणी में कायम किये गये व्यक्ति को मिलते हैं.

(ii) जहाँ परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गयी है वहाँ वह निर्धारित अवधि पूरी होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी स्वयं उस अधिकारी के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करेगा और यदि यह पाया जाता है कि यह अधिकारी उच्च श्रेणी धारण करने के लिए योग्य है तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ऐसा आदेश जारी करेगा कि संबंधित व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा सफलता से पूरी की है.

यदि अधिकारी का कार्य संतोषजनक न रहा हो अथवा उसे और कुछ अवधि के लिए देखरेख आवश्यक हो तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उस व्यक्ति को पुनः उस पद या श्रेणी में भेज सकता है, जहाँ से वह पदोन्नत हुआ था; अथवा परिवीक्षा की अवधि बढा सकता है.

जब तक कर्मचारी ने परिवीक्षा संतोषजनक रुपसे पूरी की है ऐसा घोषित नहीं होता तब तक पदोन्नति स्थायी नहीं की जाती है. इसलिए संबंधित कर्मचारी के कार्य की ध्यानपूर्वक देखरेख की जानी चाहिए और अगर परिवीक्षा के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषजनक नही रहा हो तो उसे जहाँ से पदोन्नत किया गया था उस पद या श्रेणी में वापस भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए.

परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थायी करना : जो व्यक्ति परिवीक्षा की निश्चित शर्तोंवाले स्थायी पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुआ है उस व्यक्ति को उस पद पर उस तिथि से कायम किया जाना चाहिए. जिस तिथि को वह परिवीक्षा की अवधि सफलता से पूरी करता है. उसे स्थायी किया जाय या उसकी परिवीक्षा अवधि बढायी जाय इसका निर्णय परिवीक्षा की मूल अवधि की समाप्ति के बाद शिघ्र ही - साधारणतया 6 से 8 हप्तों में - लिया जाना और कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए. अगर परिवीक्षा अवधि बढायी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को ऐसा करने के कारण बताये जाने चाहिए. यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें सीधी भर्ती के कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद होती हैं तो भी परिवीक्षा की निश्चित शर्त के साथ स्थायी पद पर नियुक्त हुए व्यक्ति को उस तिथि से कायम किया जाना चाहिए जिस तिथि को वह परिवीक्षा अवधि सफलता से पूरी करता है. जो परिवीक्षाधीन व्यक्ति संतोषजनक प्रगति नहीं कर पा रहा है अथवा जो सेवा के लिए असमर्थ पाया जाता है उसे उसकी कमियाँ मूल परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पर्याप्त समय पहले बतायी जाय ताकि वह सुधार के कडे प्रयास कर सके.

परिवीक्षा के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों का संबंधित ग्रेडिंग तय नहीं करना है, परन्तु केवल यह निर्णय लेना है कि उन अधिकारियों ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुपसे पूरी की है ऐसा घोषित किया जाय अथवा नहीं, अगर किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं है तो विभागीय पदोन्नति समिति यह सलाह दे सकती है कि क्या उसकी परिवीक्षा अवधि बढाई जाय या उसे सेवा से बरखास्त कराया जाय.

21. परिवीक्षा पर होनेवाले कर्मचारियों को सेवा से हटाना या पूर्व पद पर भेजना.

(1) अपनी प्रथम नियुक्ति में परिवीक्षा पर होनेवाला कर्मचारी विनियम 19 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर अगर उसके कार्य प्रदर्शन या आचरण के कारण सेवा में कायम किये जाने के लिए अपात्र पाया जाता है तो उसे मंडल की सेवा से हटाया जायेगा.

(2) कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी जो किसी पिछले पद के पुर्नग्रहण का हक रखता हो और अगर वह विनियम 19 में यथा निर्दिष्ट परिवीक्षाधीन अवधि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की रायमें संतोषजनक रुपसे पूरी नहीं करता तो उसे वह जिस पद का पुर्नग्रहण अधिकार रखता हो उस पद पर वापस भेजा जा सकता है.

(3) किसी पद पर परिवीक्षा की अवधि के दौरान यदि कर्मचारी उसके कार्य प्रदर्शन, आचरण के कारण; अथवा विभागीय परीक्षा - यदि निर्धारित की हो - उत्तीर्ण करने में असफलता के कारण उस पद पर बने रहने के लिए अपात्र पाया जाता है तो, अगर वह किसी पद का पुर्नग्रहण अधिकार नहीं रखता तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है अथवा वह जिस पद का पुर्नग्रहण अधिकार रखता है उसी पद पर वापस भेजा जा सकता है.

22. कुछ विशिष्ट मामलों में पदोन्नति, सेवा में कायम किये जाने के लिए विभागीय परीक्षा.

अध्यक्ष समय-समय पर कुछ ऐसे पद विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन पर पदोन्नति अथवा कायम किया जाना अर्हक विभागीय परीक्षा - यदि हो - उत्तीर्ण करने पर निर्भर होगा. इसके अलावा अध्यक्ष समय-समय पर अर्हक विभागीय परीक्षा के लिए विवरण भी विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे - परीक्षा लेने की प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा जिस अंतराल से लेनी है वह अवधि अभ्यर्थि को जिस अवधि के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण करनी है वह अधिकतम अवधि आदि.

23. विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण पूर्व पद पर वापस भेजना

किसी पद पर पदोन्नत हुआ कर्मचारी समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हक विभागीय परीक्षा - यदि हो - अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उत्तीर्ण करेगा. इसमें असफल रहने पर कर्मचारी को पूर्व पद पर वापस भेजा जायेगा. जहाँ उच्च पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना पूर्व शर्त तय की गयी है उस मामले में जब तक कर्मचारी विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता तब तक किसी भी कर्मचारी का ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जायेगा.

24. वरिष्ठता सूची

हर श्रेणी के लिये कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता दर्शानेवाली अद्यतन gradation सूची रखी जायेगी और सूची में हर श्रेणी के स्थायी और अस्थायी कर्मचारी अलग से दर्शाये जायेंगे. यह सूची हर वर्ष प्रिचालित की जायेगी.

25. वरिष्ठता निश्चित करना

(1) किसी श्रेणी में सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के बीच रिक्तियों के रोटेशन के अनुसार तय की जायेगी. जो अनुसूची में दर्शाये नुसार किसी श्रेणी में सीधी भर्ती और पदोंन्नति के लिये आरक्षित रिक्तियों के नियतांश पर आधारित होगी. जिन मामलों में विनियम 6 के अनुसार रिक्तियों का आदान-प्रदान करना पडा हो वहाँ वरिष्ठता, रिक्ति भरने की पध्दति के अनुसार निश्चित की जायेगी.

(2) सीधी भर्ती हुए कर्मचारियों का वरिष्ठता सूची में स्थान परीक्षा, साक्षात्कार अथवा दोनों में उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें चयन सूची में जिस क्रमांक पर रखा गया है उस गुणवत्ता क्रम के अनुसार रहेगा. पहले वाली चयन सूची पर भर्ती हुए कर्मचारी बाद की चयन सूची के कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे.

(3) रिक्तियों के पदोन्नति नियतांश में नियुक्त किये व्यक्ति पारस्परिक वरिष्ठता के उस क्रम में रहेंगे जिस क्रम में विभागीय पदोन्नति समिति ने उन्हें पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया है.

(4) उपरोक्त उपविनियम (1) से (3) में विहित किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के लागू होने से पहले ही निश्चित की गई वरिष्ठता पर इनका कोई असर नहीं रहेगा.

26. विभागीय पदोन्नति समिति

(1) प्रत्येक श्रेणी अथवा पद के लिये एक विभागीय पदोन्नति समिति रहेगी जो इन विनियमों के अनुसरण में पदोन्नति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये कर्मचारियों की नाम सूची की सिफारिश देगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन विनियम 12 में दिये के अनुसार सेवा चयन समिति के जैसा ही होगा और नाम सूची की वैधता वही होगी जो विनियम 13 में बतायी गयी है.

27. पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र

(1) जहाँ निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार किसी श्रेणी में एक या अधिक पद संभरक (feeder) श्रेणी के पदधारक कर्मचारियों से चयन पध्दति द्वारा पदोन्नति से भरने है, ऐसे मामलों में पात्रता पद पर होनेवाले जो कर्मचारी पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव रखते हैं उनका पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा यदि वे (पदोन्नति के लिए) विचाराधीन परिधि में आते हैं.

(2) चयन पध्दति द्वारा पदोन्नति के लिये कर्मचारियों की सिफारिश करते समय निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा -

(क) चयन पध्दति द्वारा पदोन्नति के लिये जिनका मूल्यांकन करना है उनकी गुणवत्ता को विभागीय पदोन्नति समिति निर्धारित बेंच मार्क को ध्यान में रखते हुए तय करेगी और अधिकारियों को तद्नुसार "योग्य" अथवा अयोग्य करार देगी. विभागीय पदोन्नति समिति ने जिन्हें योग्य पाया है केवल उन्हीं को चयन सूची में शामिल किया जायेगा और संभरक (फिडर) श्रेणी में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में ही उन्हें चयन सूची पर रखा जायेगा. विभागीय पदोन्नति समिति ने जिन्हें अपात्र पाया है उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा.

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति उन पात्र कर्मचारियों के मामलों पर भी सोच- विचार करेगी जो विदेश सेवा में हैं अथवा अध्ययन अवकाश पर हैं.

(ग) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को यथावत लागू किया जायेगा.

टिप्पणी : जो पद 16000-400-20800 और ऊपर की वेतन श्रेणी में है और जिसके लिये भर्ती की संयुक्त पध्दति अपनायी गयी है उस पद पर समाविष्ट करने के लिए समग्र मूल्यांकन का बेंच मार्क होगा "बहुत अच्छा". बाकी सभी मामलों में बेंच मार्क रहेगा "अच्छा".

(3) जहाँ कोई बेंच मार्क विनिर्दिष्ट नहीं किया है ऐसे अचयन पदों पर पदोन्नति के लिए चयन का निकष होगा वरिष्ठता एवं योग्यता.

28. तदर्थ नियुक्तियाँ

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शिफारिश की गयी नाम सूची के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी हो, अर्थात नाम सूची समाप्त हुई हो और पद भरने की तत्काल आवश्यकता है तो उस मामले में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी फिडर श्रेणी अथवा पद के सब से वरिष्ठ और पात्र एवं योग्य कर्मचारी की उस पद पर तदर्थ नियुक्ति कर सकता है. ऐसी तदर्थ नियुक्ति एक समय पर छः महिने तक अथवा अधिक से अधिक एक वर्ष तक; या विभागीय पदोन्नति समिति ने नयी नाम सूची की सिफारिश करने तक इसमें जो भी पहले हो तबतक की अवधि के लिये होगी. जहाँ तदर्थ नियुक्ति अपरिहार्य है, वहाँ ऐसी नियुक्ति सिर्फ भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हता एवं अनुभव की शर्तों की पूर्तता पर ही निर्भर रहेगी.

29. सानुग्रह आधार पर नियुक्तियाँ

इन विनियमों में विहित किसी बात के होते हुई भी अध्यक्ष इन विनियमों में निर्धारित की गयी भर्ती की आम प्रक्रिया को अलग रखते हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जो मंडल की सेवा में होते हुए मृत हुए कर्मचारी का लडका अथवा लडकी या पति/पत्नी हैं और निर्धारित अर्हता एवं अनुभव रखता है तथा नियुक्ति योग्य पाया जाता है बशर्ते कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अनुदेशों का पालन हो.

30. अर्थ निर्णय

इन विनियमों को लागू करते समय केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उन सभी अनुदेशों का पालन किया जायेगा, जो विनियमों के किसी भी प्रावधान से असंगत नहीं है. जिनके बारे में इन विनियमों में विशेष रुप से कोई व्यवस्था नहीं की हो उन मामलों में भी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुसरण किया जायेगा.

इन विनियमों में से किसी के अर्थ निर्णय के संबंध में यदि कोई संदिग्धता हो तो वह मामला निर्णय के लिये अध्यक्षजी को प्रस्तुत किया जायेगा, ***1.*** उसपर उनका निर्णय अन्तिम और बंधनकारी होगा.

31. रद्द करना और बनाए रखना

इन विनियमों के लागू होने से पहले जो तदनुरुप विनियम अर्थात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1977 एवं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम, 1992, प्रक्रियायें, पद्धति, प्रथाएँ प्रचलित थी वे एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

बशर्ते की इस प्रकार निरस्त किये ऐसे किसी विनियम, प्रक्रियां, पद्धति एवं प्रथा के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गयी कार्रवाई के बारे में ऐसा माना जाएगा कि वह आदेश/वह कारवाई इन नये विनियमों के तद्नुरुप प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया अथवा की गई है.

----

1. T.R. No. 13 dated 25.4.2014 and G.S.R. 149(E) dated 8.2.2016 के अनुसार जोडा गया.

c5/RSP/new-rsp

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

MUMBAI PORT TRUST

फोन /Phone : 91-22- 6656 5656

फॅक्स/ Fax : 91-22-2269 6953

ई-मेल/ e-mail : mbpt@vsnl.com

मानव संसाधन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

Human Resources Department
Port Bhavan, 2nd floor
Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400 001.

सं/सचिव/पी/जीईई-जी/602

29 नवम्बर 2010.

सेवामें,

सचिव,
भारत सरकार,
पोत परिवहन मंत्रालय,
पत्तन स्कंध, परिवहन भवन
1, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001.

(ध्यानाकर्षण : श्री. पी. ससीकुमार, अवर सचिव)

विषय : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) विनियम - संवर्ग संरचना आदेशों का कार्यान्वयन.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 02.11.2010 के आपके पत्र क्र.पीआर-2012/9/2008-पीई-I की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है.

2. अपेक्षा अनुसार समेकित मसौदा शुध्दिपत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सुधारों के साथ (हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में) संलग्न हैं. इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि यह शुध्दिपत्र हमारे पोर्ट के विधि प्रभाग द्वारा जाँचा गया है.

संलग्न : यथोक्त.

भवदीया,
हस्ता/-
(सरोज टहिल्यानी)
प्रबंधक (मा.सं.वि.)

(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में
प्रकाशित किया जाना है.)

पोतपरिवहन मंत्रालय
(पत्तन स्कंध)

नयी दिल्ली, दिनांक

शुध्दिपत्र

जीएसआर ---------- (ई) दिनांक 7 मई 2010 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 7 मई 2010 के पोतपरिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में जीएसआर 387 (ई), अधिसूचना 387 (ई) में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम 2010, सूची I में,

(1) क्रमसंख्या 25 के स्तंभ 8 में, (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की पदवी से पहले "वांछनीय" शब्द प्रविष्ट किया जाए.

(2) क्रमसंख्या 64 के स्तंभ 8 में, अनिवार्य (i) में, विश्वविद्यालय शब्द से पहले "मान्यताप्राप्त" शब्द प्रविष्ट किया जाए. तत्पश्चात वह पंक्ति, "विश्वविद्यालय से पदवी" के बजाय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पदवी इस प्रकार पढी जाएगी.

(3) क्र.सं.108 के स्तंभ 12 में "उपसचिव/निदेशक" इन शब्दों के स्थान पर "संयुक्त सचिव" शब्द का प्रयोग किया जाय.

(राकेश श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नयी दिल्ली.

कृमोसा/GSR/29.7